राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –896/2017/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट–प्रथम, कोटा। .....
अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जावेद मीनू एण्ड कम्पनी,
वफ्फ नगर कोटा,। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
एम.एल.पाटोदी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 09/VAT/2016–17 कोटा में पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 64,953/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन (जिसे आगे जांच अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 14.03.2016 को भामाशाह मण्डी के वाहन संख्या आर.जे–14–2जी–7796 को जांच हेतु रोका गया वाहन में परिवहनित माल. "120 नग बीडी पत्ता (तेंदू पत्ता) जो कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स आर.एस.एण्ड सन्स श्योपुर (मध्य प्रदेश) को भेजा जा रहा था, जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनकी जांच पर पाया कि चूंकि माल का परिवहन राज्य से निर्यात किय जा रहा है अतः **घोषण पत्र वैट–49** माल के साथ होना आवश्यक है परन्तु परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–49 नहीं होने पर जांच अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर पाया कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से बिना विधिक घोषणा प्रपत्र वैट–49 के माल का परिहवन किया जा रहा है। जिसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस

लगातार.....2

की पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 64,953/– का आरोपित करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है वाहन में परिवहनित माल "120 नग बीडी पत्ता (तेंदू पत्ता) जो कि व्यवहरी द्वारा राज्य के बाहर (मैसर्स आर.एस.एण्ड सन्स,श्योपुर मध्य प्रदेश) को भेजा जा रहा था, जिसके साथ घोषणा पत्र वैट 49 माल के साथ संलग्न होना आवश्यक था। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट से जारी घोषणा पत्र वैट 49ए पेश किया गया था, जो प्रत्यर्थी की बाद की सोच होना अवधारित करता है। अतः उन्होने उक्त आधार पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि उक्त माल का अन्तर्राज्य विक्रय किया जा रहा था, और माल तुलाई हेतु जा रहा था। माल के साथ बिल/बिल्टी मौजूद थे। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर चोरी की किसी भी प्रकार से जॉच नहीं की गई थी ओर नहीं प्रस्तुत बिल–बिल्टी का बोगस साबित किया गया एवं कर चोरी को सिद्ध नहीं किया गया, मात्र संदेह के आधार पर शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि अनुचित है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा जो माल राज्य के बाहर जा रहा था उसके संबंध में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत समस्त दस्तावेज वक्त जांच मौजूद थे,व्यवहारी ने दिनांक 14.03.2016 को विभागीय वेबसाईट से वैट–49ए कमांक E49A140316364862 जारी दिनांक 14.03.2016 प्रस्तुत कर दिया था। प्रत्यर्थी द्वारा तेंदू पत्ता का निर्यात किया जा रहा था जो कि मण्डल वन अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के बिना संभव नहीं है एवंम उक्त का इन्द्राज व्यवहारियों को नियमित रूप से अपने लेखा पुस्तकों में करना अनिवार्य होता है। अतः करापवंचन किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कर निर्धारण

लगातार.....3

अधिकारी उक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये बिना ही शास्ति का आरोपण किया है जो विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा जांच के दो घण्टे के अन्दर ही घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया था अतः शास्ति आरोपण उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्स सेराटेक इण्डिया बनाम सहायक आयुक्त, भिवाडी (2013) 35 टैक्स अपडेट 49, एस.बी.सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 203/2003 निर्णय दिनांक 10.05.2006, 140/2003 निर्णय दिनांक 10.04.2006, (1999) 25 आरटीजेएस 27, मैसर्स एबीबी लि0, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय बीकानेर, अपील सख्या 1907/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 30.10.2013/(आरटीबी) निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये। समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मै0 हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यक कर उड़नदस्ता 2013, 36 टैक्स अपडेट 37 में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपारित किया है। The fact remains that in the present case the assesse even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 05.03.2009 i.e., 06.03.2009. There is no finding in the impunged order passed by the assessing authority on 06.03.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 05.03.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified .On the other hand, the different benches of this Court. consistently held that in such circumstances where declaration form are furnished inmediately upon giving of notice to the assesse, unless the sume are found to be false and forged, the penalty cannot be sustained. In the case of ACTO Vs M/s tata Iron and Steel Company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under" समान सिद्धांत माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक उपायुक्त,भिवाड़ी(2013) 35 टैक्स अपडेट 49 में प्रतिपादित किया गया है। उक्त प्रकरण उपरौक्त। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों से आच्छादित होने के कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश में उपरोक्त किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय आदेश को यथावत रखा जाता है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य